

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड  
आरएमएसडीपी बिल्डिंग, द्वितीय तल, स्वास्थ्य भवन, जयपुर

क्रमांक : आरएमएससी/वित्त/बजट/2011-12/182

दिनांक : 17.11.11

निदेशक जनस्वास्थ्य  
राजस्थान, जयपुर

विषय:- मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत अत्यावश्यक औषधियों के स्थानीय स्तर पर क्रय हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त बजट ।

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 47-48 की अनुपालना में आरएमएससी द्वारा औषधियाँ/सर्जिकल्स/सूचर्स का क्रय किया जा कर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत राज्य के समस्त राजकीय चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से 2 अक्टूबर, 2011 से उपलब्ध करवाई जा रही है।

आरएमएससी द्वारा औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स के क्रय हेतु निविदाएँ जारी की जा कर आपूर्ति की कार्यवाही की जा रही है परन्तु राजकीय चिकित्सा संस्थानों में योजना के प्रारम्भ होने के उपरान्त ही मरीजों की संख्या में आशातीत बढ़ोतरी एवं तदनुरूप पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2011-12 की 6 माह की अवधि के लिए पूर्व आँकलित बजट राशि रु. 100.00 करोड़ में से आरएमएससी को वित्त विभाग, राज्य सरकार द्वारा आवंटित अग्रिम ग्रांट इन एड में से 20 प्रतिशत अतिरिक्त बजट निदेशक, जनस्वास्थ्य के अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों के लिए अत्यावश्यक औषधियों के स्थानीय स्तर पर क्रय हेतु संलग्न परिशिष्ट- I एवं II के अनुसार निम्नांकित शर्तों के अधीन आवंटित किया जाता है:-

1. विभिन्न जिलों में एक ही प्रोडक्ट/औषधि के लिए दरों में अधिक अन्तर अर्थात् "वाइड वेरिएशन" (wide variation) नहीं होना चाहिए।
2. औषधियों का क्रय आवश्यकता एवं परिस्थिति के मध्यनजर निविदा हेतु विज्ञापन की शर्त को समाप्त करते हुए किया जा सकता है (साविलेनि-II नियम 38)। इस हेतु प्राप्त प्रस्ताव की लागत चालू बाजार दरों की तुलना में युक्तियुक्त तथा अपेक्षित गुणवत्ता के अनुरूप हो [साविलेनि-II नियम 28 (iii)]।
3. विभिन्न अत्यावश्यक औषधियों का क्रय औषधि फर्मो/उनके वितरको से निर्धारित प्रफोर्मा में प्रस्ताव प्राप्त कर के नेगोशिएशन उपरान्त न्यूनतम दर निर्धारित किया जाना सुनिश्चित कराएँ। इन प्रस्तावों पर संबंधित विभाग के 3 वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा औषधि की गुणवत्ता एवं मूल्य पर विचार करके क्रय की कार्यवाही की जाएँ। जिला अस्पताल के चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अपने अस्पताल की दवाइयों के साथ-साथ अपने जिले के समस्त चिकित्सा संस्थानों की जैनेरिक नाम की दवाइयों की अनुमानित माँग तैयार कर अच्छी दवा कम्पनियों के वितरको/स्टॉकिस्टो से आमंत्रण के अनुसार तय करेंगे (आरएमएससी संशोधित नियमावली 2007 भाग-4 मेडिकेयर ड्रग स्टोर नियम का नियम 9)।

4. औषधियों की कीमतों पर उपर्युक्तानुसार वेरिेशन पर निगरानी रखने के लिए तथा दरों की तर्कसंगतता एवं एकरूपता रखने के लिए अनुमोदित दरों की सूचनाएँ मुख्य लेखाधिकारी एवं सचिव, भण्डार क्रयण संगठन, मुख्यालय को प्रस्तुत की जाएगी। उनके द्वारा प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कोरपोरेशन को अवगत कराया जाएगा।
5. अत्यावश्यक औषधियों के स्थानीय स्तर पर क्रय हेतु पूर्व में भी प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं निदेशक, जनस्वास्थ्य द्वारा पत्र क्रमांक ए4(1) लेखा/बजट प्लान/11/3481-3576 दिनांक 21.09.2011 एवं समय-समय पर जारी संशोधित आदेशों के अनुसार आवंटित बजट में से यदि अभी तक स्थानीय स्तर पर अत्यावश्यक औषधियों के क्रय की कार्यवाही सम्पादित नहीं की गई हो तो अब यह क्रय भी उक्तानुसार उल्लेखित शर्तों की पालना करते हुए सुनिश्चित किया जाएँ।
6. उक्तानुसार एवं संलग्न परिशिष्ट I एवं II के अनुसार आवंटित अतिरिक्त बजट का उपयोग केवल अत्यावश्यक औषधियों के क्रय हेतु ही किया जाना सुनिश्चित कराएँ। इसे किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी भी परिस्थिति में व्यय नहीं किया जाएँ।

इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य स्थानीय स्तर की माँग एवं आपूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए आगामी 2 से 3 माह हेतु उक्तानुसार इन अत्यावश्यक औषधियों की आपूर्ति में निरन्तरता बनाये रखना है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 261100207 दिनांक 05.10.2011 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की गई है।

संलग्न:- उपर्युक्तानुसार परिशिष्ट I व II

प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी  
दिनांक : 17.11.11

क्रमांक : आरएमएससी/वित्त/बजट/2011-12/182

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, आरएमएससी एवं प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त -जयपुर/भरतपुर/कोटा/जोधपुर।
3. जिला कलक्टर- जयपुर/सवाईमाधोपुर/कोटा/जोधपुर।
4. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, राजस्थान, जयपुर।
5. कार्यकारी निदेशक, आरएमएससी (समस्त), जयपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर, कोटा एवं जोधपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है की उक्तानुसार शर्तों की अनुपालना करते हुए अत्यावश्यक औषधियों का स्थानीय स्तर पर क्रय करना सुनिश्चित कराएँ।
7. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, कोटपूतली (जयपुर) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है की उक्तानुसार शर्तों की अनुपालना करते हुए अत्यावश्यक औषधियों का स्थानीय स्तर पर क्रय करना सुनिश्चित कराएँ।
8. जिला परियोजना समन्वयक एवं प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह/सवाई माधोपुर/कोटा/जोधपुर
9. प्रभारी सर्वर रूम, स्वास्थ्य भवन एवं आई टी कंसल्टेन्ट, आरएमएससीपी को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार पत्र को विभागीय वेबसाईट एवं आरएमएससी की वेबसाईट [www.rmssc.nic.in](http://www.rmssc.nic.in) पर अपलोड करना तथा संबंधित को e-mail करना भी सुनिश्चित कराएँ।
10. रक्षित पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (वित्त)

